न्यायालय न्याय निर्णयन अधिकारी एवं अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट, पाली
पीठासीन अधिकारी : डॉ राजेश गोयल, आर.ए.एस.

विविध प्रकरण संख्या : 05 / 2024

GCMS No. : 2024/34

प्रार्थी:—	**बनाम**	**अप्रार्थीगण :—**
जरिये सरकार भुराराम गोदारा खाद्य सुरक्षा अधिकारी कार्यालय मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी पाली		खरताराम पुत्र भगाराम जाति चौधरी सीरवी निवासी चौधरी का बास नाडोल, मैसर्स श्री बालाजी जोधपुर स्वीट्स, ओटोबो कॉम्पलेक्स बस स्टेण्ड के पास नाडोल (फर्म मालिक)

प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 26(2)(2) खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम 2006 विनियम 2011 एवं धारा 51

उपस्थित :—

1. खाद्य सुरक्षा अधिकारी उपस्थित।
2. अप्रार्थी की ओर से अधिवक्ता श्री पी.एम.जोशी उपस्थित।

—: निर्णय :—

दिनांक : 10.7.2024

प्रार्थी खाद्य सुरक्षा अधिकारी ने यह प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 26(2)(2) खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम 2006 के तहत अप्रार्थी के विरूद्ध प्रस्तुत किया। प्रार्थना पत्र दर्ज रजिस्टर किया जाकर अप्रार्थी को जरिये नोटिस तलब किया गया। उभयपक्ष बहस सुनी गई।

प्रार्थी ने अपनी बहस में प्रार्थना पत्र में वर्णित तथ्यों को दौहराते हुए कथन किया कि प्रार्थी वर्तमान में खाद्य सुरक्षा अधिकारी के पद पर कार्यालय मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी, पाली में पदस्थापित है। प्रार्थी दिनांक 23.04.2023 को दौराने गश्त अप्रार्थी की मैसर्स श्री बालाजी स्वीट्स ओटोबा कॉम्पलेक्स बस स्टेण्ड नाडोल, पाली पर पहुंचा व अपना परिचय देकर परिचय पत्र दिखाया। अप्रार्थी से नाम पता पुछने पर अपना नाम खरताराम बताया एवं स्वंय को दुकान का मालिक होना बताया। दुकान का निरीक्षण करने पर पाया कि दुकान में लगभग 03 से 04 किलो मिठाई पेडा दूध शक्कर से निर्मित आमजन को बेचने के लिए रखा गया हुआ था, जिसमें मिलावट का शक होने पर रूबरू गवाहान के सामने दो प्रतियों में प्रपत्र 5 ए भरकर दिया जिसकी एक प्रति पर अप्रार्थी, गवाहान एवं प्रार्थी के हस्ताक्षर करवा कर रसीद प्राप्त की। अप्रार्थी को बता दिया की मिठाई पेडा दूध शक्कर से निर्मित का नमुना वास्ते एफएसएसए एक्ट के तहत जाचं हेतु ले रहा हुं। प्रार्थी ने गवाहान एवं अप्रार्थी की उपस्थिति में 02 किलो मिठाई पेडा दूध शक्कर से निर्मित वास्ते जांच हेतु क्रय कर उसकी कीमत 700/— रूपये नकद अप्रार्थी को देकर रसीद प्राप्त की, जिस पर अप्रार्थी, गवाह एवं प्रार्थी के हस्ताक्षर है। अप्रार्थी से खरीदशुदा मिठाई पेडा दूध शक्कर से निर्मित को चार बराबर भागो में बांटकर नियमानुसार पैक कर गवाहान एवं

अति. जिला कलेक्टर पाली

अप्रार्थी की उपस्थित में चार लेबल तैयार किये, जिस पर अप्रार्थी, गवाहान एवं प्रार्थी के हस्ताक्षर एवं मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य विभाग पाली का कोड एवं सिरियल नम्बर आर–1821 लिखा एंव नमुना विवरण अंकित किया गया। चारों नमुनो को नियमानुसार सिलबंद कर अपने जाब्ते में लिया एंव मौके पर समस्त कार्यवाही कर मौका फर्द तैयार कि एवं अप्रार्थी व गवाहान को पढ़कर सुनाकर हस्ताक्षर करने को कहा जिन्होने स्वयं ने भी पढ़कर सुनकर एवं सही मानकर हस्ताक्षर किये व स्वयं प्रार्थी ने भी हस्ताक्षर किये। कोई गवाह मौजुद नही होने से साथ आये ओम प्रकाश प्रजापत कम्प्युटर ऑपरेटर कार्यालय हाजा को गवाह बना कर हस्ताक्षर करवाये।

प्रार्थी खाद्य सुरक्षा अधिकारी ने कार्यालय पहुंच कर फार्म–6 की प्रतिया तैयार की तथा प्रत्येक पर नमुना सील लगाई, नमुना पैकेट मय फार्म नम्बर 6 की प्रति सीलमुहर करके नमुने को खाद्य विश्लेषक जन स्वास्थ्य प्रयोगशाला जोधपुर में जमा करवाकर रसीद प्राप्त की। अप्रार्थी की फर्म से लिया गया नमुना संख्या आर–1821 के संबध में खाद्य विश्लेषक जन स्वास्थ्य प्रयोगशाला जोधपुर से प्राप्त रिपोर्ट संख्या एलएस/1140/एक्ट/2023/1181 दिनांक 10.05.2023 के अनुसार Sub standards पाया गया। इस प्रकार अप्रार्थी द्वारा Sub standards मिठाई पेडा दूध शक्कर से निर्मित का विक्रय कर खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम 2006 एवं नियम 2011 की धारा 26 की उपधारा 2(2) का उल्लंघन किया है, जिसके लिये अप्रार्थी दोषी है। अतः प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जावे एवं अप्रार्थी पर भारी से भारी जुर्माना अधिरोपित किया जावे।

अप्रार्थी अधिवक्ता ने वक्त बहस प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र में वर्णित तथ्यों को अस्वीकार करते हुए कथन किया कि अप्रार्थी एक छोटा व्यापारी है तथा इसके सम्बन्ध में अप्रार्थी को कोई सूचना अथवा नोटिस नहीं भेजा गया है न ही अप्रार्थी से किसी पेडो को क्रय किया गया है। अप्रार्थी सरस एवं अमूल दूध से ही मिठाई का निर्माण करता है। जोधपुर प्रयोगशाला द्वारा प्राप्त रिपोर्ट के अनुसार मिठाई पेडा दूध शक्कर से निर्मित अवमानक स्तर के पाये गये है लेकिन उसमें अवमानक होने की कोई अवधारणा या कथन तक अंकित नहीं है। अप्रार्थी ने न तो कोई उल्लघन किया है और न ही कोई अपराध किया है। अतः प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र खारिज फरमावें।

उभयपक्ष की बहस पर मनन किया तथा पत्रावली पर उपलब्ध अभिलेखों का अवलोकन किया। पत्रावली पर उपलब्ध मौका फर्द अनुसार प्रार्थी द्वारा दिनांक 23.04.2023 को अप्रार्थी की दुकान से मिठाई पेडा दूध शक्कर से निर्मित वास्ते जांच हेतु क्रय कर नियमानुसार नमूना कोड एवं क्रम संख्या आर–1821 अंकित कर सीलबन्द किया गया। पत्रावली में सलंग्न प्रपत्र संख्या 5ए के अवलोकन से स्पष्ट है कि प्रपत्र 5ए में नमुने के संबध में समस्त जानकारी यथा कोड नम्बर, नमुने का विवरण, अप्रार्थी का नाम, प्रार्थी के हस्ताक्षर एवं गवाह के हस्ताक्षर किये हुए है। अप्रार्थी की दुकान से वास्ते जांच लिये गये मिठाई पेडा दूध शक्कर से निर्मित का नमुना कोड संख्या आर–1821 को खाद्य विश्लेषक जन स्वास्थ्य प्रयोगशाला जोधपुर भिजवाया गया। जहां से प्राप्त रिपोर्ट के अनुसार अप्रार्थी की दुकान से लिया गया मिठाई पेडा दूध शक्कर से निर्मित

अति. जिला कलेक्टर पाली

का नमुना अवमानक (Sub-standards) पाया गया जिसका अप्रार्थी द्वारा उत्पादन एवं विक्रय करना खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम 2006 व नियम 2011 की धारा 26 की उपधारा 2(2) के प्रावधानों उल्लघंन है तथा धारा 51 के तहत शास्ति योग्य हैं।

परिणामस्वरूप प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 26(2)(2) के तहत स्वीकार किया जाता है तथा अप्रार्थी द्वारा अवमानक (Sub-standards) मिठाई पेडा दूध शक्कर से निर्मित का विक्रय करने के कारण इसी अधिनियम की धारा 51 के तहत अप्रार्थी पर 10,000/– अक्षरे दस हजार रूपये की शास्ति आरोपित की जाती है, साथ ही अप्रार्थी को निर्देश दिये जाते है कि वे उक्त राशि राज्य सरकार द्वारा निर्धारित मद "0210–चिकित्सा एवं लोक स्वास्थ्य, 04–लोक स्वास्थ्य, 800 अन्य प्राप्तियां, (03) खाद्य सुरक्षा कानून के अन्तर्गत अनुज्ञापत्र शुल्क आदि" में जमा करवा कर चालान की प्रति इस न्यायालय में प्रस्तुत करें। इस निर्णय की प्रतिलिपि अप्रार्थी एवं प्रार्थी को वास्ते पालनार्थ भिजवाई जावे। बाद पालना पत्रावली फैसल में शुमार होकर नम्बर से कम हो।

(डॉ राजेश गोयल)
न्याय निर्णयन अधिकारी एवं
अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट, पाली
अति. जिला कलेक्टर, पाली

निर्णय आज दिनांक 10/7/2024 को मेरे द्वारा लिखवाया जाकर बाद हस्ताक्षर कर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(डॉ राजेश गोयल)
न्याय निर्णयन अधिकारी एवं
अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट, पाली
अति. जिला कलेक्टर, पाली